भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3198
21 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

अपशिष्ट प्रसंस्करण दरें

3198. श्रीमती शारदा अनिल पटेल:
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अपशिष्ट प्रसंस्करण दरें और संसाधित किए जा रहे नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है;
(ख) सरकार द्वारा कुछ राज्यों में कम अपशिष्ट प्रसंस्करण दरों से निपटने के लिए क्या पहल की गई है;
(ग) क्या सरकार ने उच्च अपशिष्ट प्रसंस्करण दर प्राप्त करने में राज्यों के सामने आने विशिष्ट बाधाओं की पहचान की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों से निपटने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क): भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) शुरू किया था जिसका उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) और देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना है। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 100% स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर संग्रहण और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्तर को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य सभी विरासत डंपसाइटों का निवारण करना और उन्हें हरित क्षेत्रों में परिवर्तित करना भी है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, कुल उत्पादित कचरे अर्थात 1.5 लाख एमटी/डी में से

76.49% संसाधित किया जाता है। एमआईएस पोर्टल पर शहरों और राज्यों की रिपोर्टिंग के अनुसार उत्पादित और संसाधित कचरे का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) से (घ): संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है। 74वां संवैधानिक संशोधन, शहरों और कस्बों में शासन की सबसे निचली इकाई के रूप में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की स्थापना करना और शक्तियों के हस्तांतरण करने को अनिवार्य बनाता है। तथापि, कुशल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसएसडब्ल्यूएम) में शहरों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है:

(i) अपशिष्ट प्रसंस्करण दरों को बढ़ाने के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे खाद, जैव-मीथेनेशन, अपशिष्ट-से-ऊर्जा, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ), निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण, डंपसाइट शोधन आदि की स्थापना के लिए विभिन्न जनसंख्या श्रेणी शहरों के लिए 25%, 33% और 50% की अलग-अलग दरों पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) प्रदान करना ।

(ii) अपशिष्ट प्रबंधन की योजना, डिजाइन और संचालन और रखरखाव के सभी पहलुओं को कवर करते हुए मैनुअल, परामर्शिकाओं, डिजाइन, प्रोटोकॉल के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

(iii) मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए राज्य और शहरों को क्षमता निर्माण (सीबी) के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।

(iv) कचरा मुक्त शहरों के विजन को प्राप्त करने की दिशा में 'जन आंदोलन' को तेज करने और स्वच्छ व्यवहार और संबंधित कार्यों को संस्थागत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नागरिक आउटरीच के साथ-साथ जागरूकता सृजन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और शहरों को आईईसी के लिए भी धनराशि प्रदान की जाती है।

(v) सरकार द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ सर्वेक्षण' ने शहरों में बेहतर स्वच्छता हासिल करने के लिए शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, स्वच्छता संबंधी खामियों को रोकने के लिए ओडीएफ, ओडीएफ+, ओडीएफ++ और वाटर+ का वार्षिक प्रमाणीकरण किया जाता है। इसी प्रकार अपशिष्ट प्रबंधन के आकलन के लिए प्रतिवर्ष स्टार रेटिंग आकलन भी किया जाता है।

अनुलग्नक

"अपशिष्ट प्रसंस्करण दरों" के संबंध में दिनांक 21.12.2023 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3198 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादित अपशिष्ट (टीपीडी में)	संसाधित अपशिष्ट (टीपीडी में)
1	चंडीगढ़	533	533
2	छत्तीसगढ	1,625	1625
3	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	60	60
4	त्रिपुरा	321	317.79
5	गोवा	180	176.4
6	मध्य प्रदेश	6,859	6516.05
7	महाराष्ट्र	23,563	22384.85
8	तेलंगाना	10,561	9927.34
9	गुजरात	10,187	9372.04
10	पंजाब	3,852	3505.32
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	62	55.18
12	कर्नाटक	9,090	8090.1
13	जम्मू और कश्मीर	1,176	1034.88
14	ओडिशा	1,814	1596.32
15	उत्तर प्रदेश	18,072	15722.64
16	आंध्र प्रदेश	6,358	5467.88
17	दिल्ली	10,550	9073
18	केरल	2,232	1830.24
19	मणिपुर	217	173.6
20	हरियाणा	5,448	3813.6
21	तमिलनाडु	15,149	10301.32
22	झारखंड	2,006	1303.9
23	उत्तराखंड	2,023	1274.49
24	हिमाचल प्रदेश	886	345.54
25	मिजोरम	167	63.46
26	असम	1,174	422.64
27	सिक्किम	70	24.5
28	राजस्थान	7,727	2472.64
29	बिहार	5,937	1365.51
30	मेघालय	206	39.14
31	पश्चिम बंगाल	7,876	787.6
32	पुदुचेरी	362	25.34

33	अरुणाचल प्रदेश	130	6.5
34	नागालैंड	54	1.08
35	लद्दाख यूटी	9	0

(स्रोत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छतम् पोर्टल पर यूएलबी द्वारा रिपोर्ट)

*****